अभिलेख उपस्थापित

अंचल अधिकारी, तमाड़ का पत्रांक–466(ii) दिनांक–28/08/2017 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

(क) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत का नाम रोड़े महतो वल्द भोगल महतो कौम कुरमी साकीन देह दर्ज है। आवेदिका खतियानी रैयत की पौत्रवधु है।

(ख) पंजी–।। के अनुसार रैयत का नाम सहोदर महतो वगैरह पिता रघुनाथ महतो है तथा रैयत के पास कुल जमीन–05.38 ए० है।

(ग) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित भूमि दोन तीन किस्म का है।

(घ) जमीन का मालगुजारी वर्ष 2014–2015 तक वसूली गयी है।

(ङ) प्रस्तावित जमीन बिक्री में आवेदिका का हिस्सेदारों की अनापत्ति प्राप्त नहीं है। तथा प्रस्तावित जमीन बिक्री देने वाले क्षेत्र में आवेदिका का अंशिक हिस्सा है।

(च) प्रस्तावित जमीन बिक्री या दान देने के पश्चात आवेदिका के पास खाता 107 में 0.20 ए० एवं खाता सं०–106 में कुल रकवा 20.62 ए० भूमि शेष बचता है।

(छ) प्रस्तावित जमीन को विक्रेता घर बनाने एवं लड़की की शादी देने हेतु विक्रय करना चाहते हैं।

(ज) क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक ही समुदाय के सदस्य हैं तथा दोनों एक पुलिस थाना क्षेत्र के अन्तर्गत पिछड़ी जाति कुरमी I के हैं।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, तमाड़ ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b के तहत प्रतिवेदित किया है कि प्रस्तावित जमीन का खाता सं०–107 के वंशज महावीर महतो वो गोविन्द चन्द्र महतो के द्वारा आपत्ति किया गया है। ऐसे में ऐसा प्रतित होता है कि खाता सं०–107 के वंशजों के बीच जमीन को लेकर आपस में विवाद है जिसका निर्णय सक्षम न्यायालय से ही संभव है। अतः बिक्री करने का अनुशंसा करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अंचल अधिकारी, तमाड़ की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि को विक्रेता भुटकी देवी पति–स्व० यादव महतो, ग्राम–रागड़ाबड़ांग डाकघर–बारेडीह, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–गृहणी को क्रेता लाल सिंह महतो वो तेज सिंह महतो, दोनों पिता–स्व० हलधर महतो, ग्राम–रागड़ाबड़ांग डाकघर–बारेडीह, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–खेतीबारी के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b के तहत नहीं दी जा सकती है। वाद को खारिज किया जाता है।

भूमि का विवरण

| मौजा | थाना | खाता सं0 | प्लॉट सं0 | रकवा |
|---|---|---|---|---|
| रागड़ाबड़ांग | तमाड़ | 107 | 442 | 0.16 ए० |

लेखापित एवं संशोधित।

9/01/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता ,
बुण्डू राँची।

9/01/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बुण्डू राँची।